

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—6/2023 (2023/30) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. देवा पुत्र मेघा गाडरी निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोमा पिता नोला गाडरी निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शम्भुलाल पिता मोहनलाल गाडरी निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकरलाल दत्तक पुत्र गिरधारी गाडरी निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. धापुकंवर पत्नि गोकलसिंह राजपूत निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बेबीकंवर पुत्री गोकलसिंह राजपूत निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बालुसिंह पुत्र गोकलसिंह राजपूत निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शैतानसिंह पुत्र गोकलसिंह राजपूत निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. दिनेशचन्द्र पुत्र बरदा खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. प्यारालाल पुत्र बरदा खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मुकेश पुत्र बरदा खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. हीरालाल पुत्र बरदा खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. हरलाल पुत्र किशना खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. जगदीश पुत्र हजारी खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. नाथु पुत्र हजारी खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. सुरेश पुत्र हजारी खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. अम्बालाल पुत्र छोगा बलाई निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश चन्द्र टेलर—

प्रार्थी अधिवक्ता

दिनांक 04.04.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम डागड़ी पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 710 रकबा 0.90 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 80 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तहसील सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद



*(Handwritten signature)*

बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने दिनांक 23.12.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 05.01.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 17 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डागड़ी पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 710 रकबा 0.90 है० भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 80 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा ठीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
सहायक उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (दीनपारा)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—6/2023 (2023/30) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. देवा पुत्र मेघा गाडरी निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोमा पिता नोला गाडरी निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शम्भुलाल पिता मोहनलाल गाडरी निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकरलाल दत्तक पुत्र गिरधारी गाडरी निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. धापुकंवर पत्नि गोकलसिंह राजपूत निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बेबीकंवर पुत्री गोकलसिंह राजपूत निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बालुसिंह पुत्र गोकलसिंह राजपूत निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शैतानसिंह पुत्र गोकलसिंह राजपूत निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. दिनेशचन्द्र पुत्र बरदा खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. प्यारालाल पुत्र बरदा खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मुकेश पुत्र बरदा खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. हीरालाल पुत्र बरदा खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. हरलाल पुत्र किशना खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. जगदीश पुत्र हजारी खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. नाथु पुत्र हजारी खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. सुरेश पुत्र हजारी खटीक निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. अम्बालाल पुत्र छोगा बलाई निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 04.04.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम डागड़ी पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बेरून हल्का आवादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 710 रकवा 0.90 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 80 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्वधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए वशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो विना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल रयाही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा